संख्या-106/2016/301/22-2-2016-17(90)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2016***

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व बन्दी सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी **सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव पुत्र श्री प्यारा सिंह, ग्राम-जलालपुर काजी, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर** का निवासी है। बन्दी व उसकी पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर झगडा हुआ इसी कारण बन्दी ने दिनांक 31-07-1999 को प्रातः लगभग 05-30 बजे भाले से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-588/99 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दिनांक 01-03-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.2015 तक 16 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है] भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी व उसकी पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर झगडा हुआ इसी कारण बन्दी ने दिनांक 31-07-1999 को प्रातः लगभग 05-30 बजे भाले से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी **सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव (बन्दी संख्या-14625) पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर** के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-106/2016/301(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बिजनौर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-106/2016/301/22-2-2016-17(90)/2016

दिनांक 04 अगस्त, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध **सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव** (बन्दी संख्या-**14625**) पुत्र **श्री प्यारा सिंह, ग्राम-जलालपुर काजी, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर** का निवासी है। बन्दी व उसकी पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर झगडा हुआ इसी कारण बन्दी ने दिनांक 31-07-1999 को प्रात: लगभग 05-30 बजे भाले से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-588/99 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दिनांक 01-03-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.2015 तक 16 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है] भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी व उसकी पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर झगडा हुआ इसी कारण बन्दी ने दिनांक 31-07-1999 को प्रात: लगभग 05-30 बजे भाले से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी **सुक्खा सिंह उर्फ सुखवेन्द्र उर्फ सुखदेव पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर** को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in